

न्यायालय:-मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप. प्रक. क.- 215 / 2018
संस्थित दिनांक 14.06.2018
फाईलिंग नं.-7172018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----अभियोजन

// विरुद्ध //

सकरु धुर्वे पिता पंचमसिंह धुर्वे उम्र-40 साल, जाति गोंड,
निवासी ग्राम परसाटोला थाना गढ़ी जिला बालाघाट (म.प्र.)

-----आरोपी

--:: निर्णय ::--

(दिनांक 14/06/2018 को घोषित किया गया)

01:- उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 18.04.2018 को समय 11:00 बजे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम परसाटोला में प्रार्थिया के घर सामने जो कि एक लोकस्थान था या उसके समीप फरियादी श्रीमती दशरीबाई धुर्वे को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, इस प्रकार धारा-294 भा.द.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02:- प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिनांक 14.06.2018 को आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को धारा-323, 506 भा0दं0वि0 के आरोप से उन्मोचित किया गया। धारा-294 भा0दं0वि0 राजीनामा योग्य न होने से उक्त धारा में विचारण किया गया।

03:- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि दिनांक 18.04.2018 को सुबह 7:00 बजे फरियादी बैल लेकर खेत तरफ चराने गई थी। फरियादी ने अपने लड़के संजू को बैल की देख-रेख करने को कहकर वापस घर आ गई। करीब 11:00 बजे फरियादी का लड़का घर आकर बताया कि खेत से बैल ले आना, तब फरियादी बैल लेने गई, किन्तु खेत पर बैल नहीं मिले। इसी बात को लेकर फरियादी का पति आरोपी सकरु फरियादी को माँ-बहन की

अश्लील गालियाँ देकर मारपीट करने लगा। बैल ढूँढकर नहीं लाने पर जान से मारने की धमकी भी दिया था। घटना के उपरांत फरियादी ने पुलिस थाना गढ़ी में घटना की रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना गढ़ी में अपराध क्रमांक 50/18 अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। घटनास्थल का मौका-नक्शा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04:— आरोपी ने अपने अभिवाक् में अपराध करना अस्वीकार किया है। साक्ष्य के दौरान आरोपी के विरुद्ध कोई विपरीत साक्ष्य न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।

05:—प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 18.04.2018 को समय 11:00 बजे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम परसाटोला में प्रार्थिया के घर सामने जो कि एक लोकस्थान था या उसके समीप फरियादी श्रीमती दशरीबाई धुर्वे को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

—:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01:—

06:— दशरीबाई(अ.सा.01) ने बताया है कि वह आरोपी को जानती है। आरोपी सकरू धुर्वे उसका पति है। आरोपी सकरू धुर्वे से उसका घटना दिनांक को मौखिक विवाद हो गया था, जिसके बाद आवेश में आकर उसने लोगों के कहने पर उसके विरुद्ध गढ़ी थाने में शिकायत की थी, जहाँ पुलिस वालों ने कुछ दस्तावेजों पर उससे हस्ताक्षर करवाये थे, परंतु उसने दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 तथा मौका नक्शा प्र.पी.02 पर उसने अंगुठा निशान लगाया था। थाने में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसने

उक्त बात बता दी थी। आरोपी ने उसे गालियाँ नहीं दिया था।

07:— दशरीबाई अ.सा.01 को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी ने उसे बैल लेकर नहीं आई कहकर घटना दिनांक 18.04.2018 को सुबह 7:00 बजे मादरचोद, बहनचोद, छिनाल, कुतिया की गंदी-गंदी गालियाँ दी थी। इससे भी इंकार किया है कि उसने पुलिस को अपने कथन प्र.पी.03 में आरोपी ने उसे बैल लेकर नहीं आई कहकर घटना दिनांक 18.04.2018 को सुबह 7:00 बजे मादरचोद, बहनचोद, छिनाल, कुतिया की गंदी-गंदी गालियाँ देने वाली बात बता दी थी। यह स्वीकार किया है कि आरोपी उसका पति है और उसने उससे राजीनामा कर लिया है। इससे इंकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है। प्रतिपरीक्षण में भी साक्षी ने बताया है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था। यह स्वीकार किया है कि उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे कोई गालियाँ नहीं दी थी।

08:— इस प्रकार स्वयं दशरीबाई अ.सा.01 ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि आरोपी ने उसे बैल लेकर नहीं आई कहकर घटना दिनांक 18.04.2018 को सुबह 7:00 बजे मादरचोद, बहनचोद, छिनाल, कुतिया की गंदी-गंदी गालियाँ दी थी। इससे भी इंकार किया है कि उसने पुलिस को अपने कथन प्र.पी.03 में आरोपी ने उसे बैल लेकर नहीं आई कहकर घटना दिनांक 18.04.2018 को सुबह 7:00 बजे मादरचोद, बहनचोद, छिनाल, कुतिया की गंदी-गंदी गालियाँ देने वाली बात बता दी थी। आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो गया है। स्वयं फरियादी दशरीबाई द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लिये जाने एवं अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन ने अपने शेष अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया है। फलतः उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत सूरजमल बनाम स्टेट (देहली एडमिनीस्ट्रेशन) ए.आई.आर. 1979 सु.को. 1408 एवं हीरालाल बनाम स्टेट आफ एम.पी. 2010 (2) म.प्र. वी.नो.

79 म.प्र. अवलोकनीय है।

09:— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 18.04.2018 को समय 11:00 बजे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम परसाटोला में प्रार्थिया के घर सामने जो कि एक लोकस्थान था या उसके समीप फरियादी श्रीमती दशरीबाई धुर्वे को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया। फलतः आरोपी को धारा-294 भा.दं.वि. के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

10:— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11:— आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

12:— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)